

उपरोक्त प्रार्थियों ने भूरे समक्ष उपरोक्त प्रकार के विवादाधीन भूखंडों का विवरण देकर निवेदन किया है कि वे इन भूखंडों को अपने हेतु सहसति लिखित में दो भागों में बांटकर अलग-अलग खसतों में बांटना चाहते हैं। उपरोक्त लिखित में सुट्टि सुधार की प्रतीति भी आती है। अतः इन्दाज पुरस्ती परसूर नवमति से किये जाने हेतु अतिरिक्त प्रतीति की है तथा अमिलेख के आधार पर भी प्रकृत इन्दाज पुरस्ती प्रमाण प्रतीति से होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज पुरस्ती किये जाने के आदेश किये जाते हैं-

पुरा इन्दाज			स्वीकृत किया गया इन्दाज				
क्रमांक	खसतदार का नाम	खसती संख्या	रकबा	खसतदार का नाम	खसती संख्या	रकबा	
369	केशर सिंह पुत्र हनुव-रसिह जति	1133	2.31	केशर सिंह राठौड़	1133	2.31	
		691			691		
		333	1160	1.32	पुत्र हनुव-रसिह	1160	1.32
		240	516		जति राजूर	516	
			422			422	
	423	3.09		423	3.09		
	431			431			

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

204

प्रतिलिपि पालनार्थ :- (2-10-21)

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पंवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर